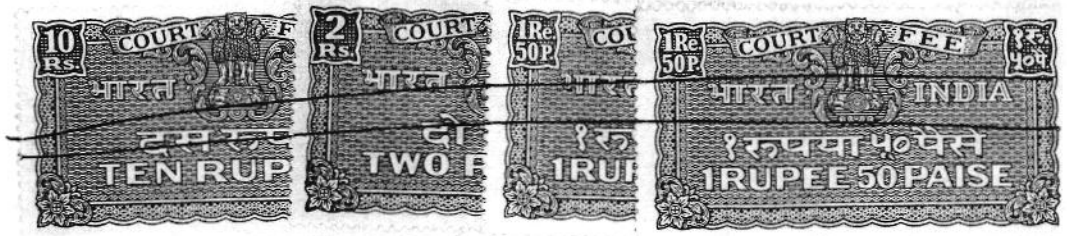

377

10 Rs. COURT FEE भारत TEN RUPEES | 2 Rs. COURT FEE भारत TWO RUPEES | 1 Re. 50 P. COURT FEE भारत 1 RUPEE 50 PAISE | 1 Re. 50 P. COURT FEE भारत INDIA १ रुपया ५० पैसे 1 RUPEE 50 PAISE

न्यायालय राजस्वमण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर·

पं० क्र० 99०288 ---

प्रकरण क्रमांक: /99 निगरानी

PBR R-288-PBR/99

गयाप्रसाद पुत्र श्री मूरतसिंह, नि·सिमराई खुर्द तह·पवई जिला-पन्ना (म·प्र·)

-------आवेदक

बनाम

(1) नोनेलाल
(2) गौरीशंकर } पुत्रगण श्री स्वामीप्रसाद
(3) प्रतिपाल
(4) जयकरण
(5) सीताराम } पुत्रगण श्री मूरतसिंह

निवासीगण-सिमराई खुर्द तह·पवई जिला-पन्न (म·प्र·)

-----अनावेदकगण·

क्रमांक .... श्री .... 16.2.99 अभिभाषक द्वारा आज दिनांक .... को प्रस्तुत 16.2.99 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

16.2.99

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर बन्दोवस्त आयुक्त म·प्र·ग्वालियर के आदेश दिनांक 27·5·98 में पारित प्र·क्र·05/अपील/90-91 अन्तर्गत धारा-50 म·प्र·भू-राजस्व संहिता·

====0====

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि -

(1) यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक बन्दोवस्त पवई की न्यायालय में अनावेदक क्र·1 ने आवेदन पेश किया विवादग्रस्त भूमि का पट्टा उभयपक्षों के नाम है जिसका बटवारा किया जाकर 1/4 भाग पर पृथक नामांतरण किया जावे धारा 178 म·प्र·भूराजस्व संहिता के अनुसार उभयपक्षों को दीवानी दावा पेश करने हेतु तीन माह का समय दिया गया किन्तु किसी पक्ष ने दीवानी न्यायालय में दावा पेश नहीं किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–288–पीबीआर/1999 जिला– पन्ना

गयाप्रसाद विरूद्ध नोनेलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–01–19	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.एस. धाकड़ उपस्थित। उनके तर्क सुने गये। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्र0क्र0 05/अपील/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 27–05–1998 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1, 2, व 3 की पिता स्वामीप्रसाद द्वारा ग्राम किन्ना स्थित भूमि कुल किता 10 कुल रकबा 3.73 हैक्टेयर का बटवारा किये जाने बावत् मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र सहायक बन्दोबस्त अधिकारी पवई, जिला–पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये दिनांक 06–03–1987 को बटवारा आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी पवई के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस बन्दोबस्त अधिकारी ने दिनांक 07–12–1990 अपील समय बाह्य मानकर अस्वीकार किया है। बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर बन्दोबस्त आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 05/अपील/1990–91 में पारित आदेश दिनांक अपील	

15/1/19

अमान्य किया है तथा बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश को उचित माना है। अपर बन्दोबस्त आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने आवेदक गयाप्रसाद की उपस्थिति में दिनांक 06–03–1987 को बटवारा का आदेश पारित किया था। आवेदक का यह तर्क था कि उसे प्रकरण में पारित आदेश की जानकारी नहीं थी। इसी कारण आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष दिनांक 13–06–1989 को अपील मय अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया था । आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि आवेदक को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी, क्योंकि बटवारा के समय आवेदक स्वयं उपस्थित था। इसके अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील लगभग 2 साल तीन माह और 7 दिन के विलंब से प्रस्तुत की गई थी। विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जबकि अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत दिन–प्रतिदन के विलंब का सहकारण स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में बंदोबस्त अधिकारी ने अपील को समय बाह्य मानकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की । इसी कारण अपर बंदोबस्त

15/1/19

आयुक्त ग्वालियर ने अधीनस्थ न्यायाल के आदेश को उचित मानने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर बंदोबस्त आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 27–5–1998 स्थिर रखा जाता है।

7/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 15/01/19
सदस्य